



## पटना नगर निगम

बर्वाक सी. टि.सी. पत्त, सैलपुरम, कल्याणपुर, पत्त, पटना-800001  
फ़ोन नम्बर- 3110 1000/100



प्रपक,

उप निदेशक,  
शहरी योजना शाखा,  
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा नं.

श्रीमती कृष्णा देवी, पति-श्री रविन्द्र नाथ,  
इब्राहिमपुर, थाना-नौबतपुर, पटना।  
मोबाईल नं-9304449770

पटना, दिनांक-27.03.2017 ई।

विषय:- प्लान केस सं- P/Salempur Dumra/PCN/B+G+4/256/2016 की स्वीकृति के संबंध में  
महाशय,

आपके आवेदन सं- P/Salempur Dumra/PCN/B+G+4/256/2016 दिनांक-25.07.2016 के संदर्भ में श्रीमती कृष्णा देवी, पति-श्री रविन्द्र नाथ, इब्राहिमपुर, थाना-नौबतपुर, पटना के लिए पवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार आयोजना स्कैम के सर्वे प्लॉट सं- 100 (अ), खण्ड सं-101, ताली संख्या 5295, थाना-राजीव नगर, थाना नं-10, साज-सलेमपुर हुमना, पटना के बाबत विस्तारित शर्तों निर्बंधनों के अध्याधीन पत्र द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/पवन का उपयोग अनन्य रूप से आरक्षित पर्यटन के लिए किया जाएगा और उस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के प्रदान करने के साथ-साथ योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 132.82 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 19.08 मीटर से 20.70 मीटर तक तथा अन्य तरफ 13.08 मीटर से 15.44 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम होगी।
- (ङ) प्रस्तुत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शान्तिपूर्ण कब्जा में अवस्थित हो।
- (च) सड़क को मातृक चौड़ाई तक और सड़क बनाने के लिए आवेदक विभिन्न विकास योजना प्राधिकारों या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कैम के अधीन आरक्षित सुगम आयोजना प्राधिकार प्राप्त पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगम 180.68 वर्ग मीटर नौबतपुर भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

Dev Hira Project Pvt. Ltd.  
Managing Director

- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमाम्य होंगी।
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं माना जाएगा।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का मत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। इसलिये बिहार राज्य आवास बोर्ड से प्रतिनियुक्त अमीन द्वारा प्रतिवेदन समर्पित है।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित सम्स्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/दुरु/पर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वामभाजन

उप निदेशक

शहरी योजना शाखा,

पटना नगर निगम, पटना।

“बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना”

Dev Hira Project  
 Managing Director



